न्यायालय असिस्टैन्ट कलक्टर(प्रथम श्रेणी)/उप जिलाधिकारी,मवाना(मेरठ)।

वाद सं0 – 01 सन 2015 अं0धारा 143 ज0वि0अधि0

श्रीराम फाउन्डेशन चैरिटेबिल ट्रस्ट कोठी मोन प्लेजर ई0के0रोड मेरठ द्वारा सचिव प्रवीण कुमार मित्तल बनाम सरकार

ग्राम नंगली ईसा
परगना हस्तिनापर तहसील मवाना
जिला मेरठ।

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्री श्री प्रवीण कुमार मितत्तल सचिव श्रीराम फाउन्डेशन चैरि0ट्रस्ट मेरठ प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ हुई। जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि भूमि खसरा संख्या 483 रकबा 0.0630है0खसरा 487 रकबा 0.1260है0 खसरा संख्या 486 रकबा 0.3490है0, कुल नं03 कुल रकबा 0.5380 स्थित ग्राम नंगली ईसा परगना हस्तिनापुर जिला मेरठ कय किया है। जिस पर वर्तमान में शैक्षणिक कार्य हेतु भवन बना हुआ है। जिस पर कोई भी खेती का कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रार्थीगण उक्त कय की गयी 0.5380वर्गमीटर भूमि में कोई कृषि कार्य, बागवानी,पशुपालन, सुअरफार्म,पोल्ट्रीफार्म का कार्य नहीं हो रहा है। जिसको अर्न्तगत धारा 143ज0वि0अधिनियम के तहत अकृषिक घोषित किया जाना आवश्यक है । उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार मवाना से जांच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार मवाना की जांच आख्या दिनांक 10–07–15 एवं 26–11–2015 में उल्लिखित किया गया है कि भूमि खसरा संख्या 483 रकबा 0.0630है0खसरा 487 रकबा 0.1260है0 खसरा संख्या 486 रकबा 0.3490है0, कुल नं03 कुल रकबा 0.5380 स्थित ग्राम नंगली ईसा परगना हस्तिनापुर जिला मेरठ की पूरी भूमि की बाउन्ड्रीवाल हुई है। उक्त भूमि में कृषि ,बागवानी, पशुपालन,मत्स्यपालन, मुर्गीपालन, सुअर पालन आदि कार्य नहीं किये जा रहे है। इस भूमि में स्थित भवन में शैक्षणिक कार्य किया जा रहा है। स्थल के फोटोग्राफ संलग्न है। उक्त भूमि खतौनी फसली 1412ता 1417 में श्री राम फाउण्डेशन चैरिटेबिल ट्रस्ट कोठी मोन प्लेजर ई0के0रोड मेरठ द्वारा ट्रस्टीगण के नाम बजरिये बैनामा दिनांक 19–2–2008 के आधार पर दर्ज है। अतः ग्राम नंगली ईसा परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना स्थित भूमि खसरा संख्या 483 रकबा 0.0630है0खसरा 487 रकबा 0.1260है0 खसरा संख्या 486 रकबा 0.3490है0, कुल नं03 कुल रकबा 0.5380है0 को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

शासनादेश सं0 8164/5–49ए/ 03 दिनांक 28–01–2004 में यह व्यवस्था दी गयी है कि कृषि भूमि का भू–उपयोग परिवर्तित होने पर उप जिलाधिकारियों द्वारा अभियान चलाकर स्वप्रेरणा से धारा 143 ज0वि0अधि0 के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेंगी। प्रश्नगत आराजी आबादी क्षेत्रार्न्तगत स्थित है। तथा इसे गैर कृषि उपयोग हेतु प्रयोग किया जाता है। माल अभिलेखों में कृषि दर्ज होने के कारण स्टाम्प अपर्वचना हो रही है। अतः राजकीय हित में इस गैर कृषि प्रयोजनार्थ भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

मैने पत्रावली का सम्यक अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नियम 135 पर रिपोर्ट, मौके पर आवेदक व नायब तहसीलदार का संयुक्त फोटो लगा है, सी0एच041, 45 आख्या के साथ पत्रावली पर ग्राम नंगली ईसा की खतौनी 1412 ता 1417फसली के खाता सं0 159 के खसरा संख्या 483 रकबा 0.0630है0खसरा 487 रकबा 0.1260है0 खसरा संख्या 486 रकबा 0.3490है0, कुल नं03 कुल रकबा 0.5380 लगान 15.40 रूपये अंकित है,जोश्री राम फाउण्डेशन चैरिटेबिल ट्रस्ट कोठी मोन प्लेजर ई0के0रोड मेरठ द्वारा ट्रस्टीगण के नाम बजरिये बैनामा दिनांक 19–2–2008 के आधार पर दर्ज है संलग्न है। तहसीलदार मवाना ने उक्त भूमि को आबादी/अकृषिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है। ऐसी स्थिति में मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई वैधानिक बाधा नहीं है ।

न्यायालय उप जिलाधिकारी तहसील मवाना मवाना (मेरठ)

आदेश

अतः ग्राम नंगली ईसा परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना जिला मेरठ की खतौनी वर्ष 1412 ता 1417फ0 के खाता सं0 159 के खसरा संख्या 483 रकबा 0.0630है0खसरा 487 रकबा 0.1260है0 खसरा संख्या 486 रकबा 0.3490है0, कुल नं03 कुल रकबा 0.5380है0 लगान 15.40पैसे भूमि को तहसीलदार मवाना की आख्या के आधार पर शासनादेश के कम में स्टाम्प अपर्वचना रोकने के उददेश्य से धारा 143 ज0वि0अधि0 के अर्न्तगत अकृषक घोषित किया जाता है। इस आदेश की प्रति तहसीलदार मवाना को भी राजस्व अभिलेखों की दुरूस्ति हेतु तथा एक प्रति उप निबन्धक मवाना को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

प्रमाणित
01/12/2015
अहलमद माल
न्यायालय उप जिलाधिकारी, मवाना
जनपद–मेरठ।

दिनांक 30 –11–2015

30/11/15
(ऋतु पूनिया)
उप जिलाधिकारी, मवाना।
उप जिलाधिकारी
मवाना (मेरठ)

BHULEKH
Uttar Pradesh

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : नगली ईसा | परगना : (हस्तिनापुर) | तहसील : मवाना | जनपद : मेरठ | फसली वर्ष : 1424-1429 | भाग : 1 | खाता संख्या : 00241

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।				
श्रीराम फाउन्डेशन चैरिटेबिल ट्रस्ट / कोठी मोन पैलेजर / पी॰के रोड मेरठ ट्रस्टीगण ब्रहमपाल सिंह / रामनिवास / कोठी मोन प्लेजर ई॰के रोड मेरठ विश्वपाल सिंह / ब्रहमपाल सिंह / कोठी मोन प्लेजर ई॰के रोड मेरठ दिव्यपाल सिंह / ब्रहमपाल सिंह / कोठी मोन प्लेजर ई॰के रोड मेरठ डा॰कुलदीप कुमार / महेन्द्र सिंह / सी॰92 शास्त्री नगर मेरठ डा॰सुशीला सिंह / वेदपाल सिंह / ए 411 डिफैन्स एन्कलेव कंकरखेडा मेरठ	483 487 486	0.0630 0.1260 0.3490	1424फ॰ न्यायालय असिस्टैन्ट कलक्टर (प्रथम श्रेणी)/उपजिलाधिकारी मवाना मेरठ वाद सं॰1सन 2015अ॰धारा 143ज॰वि॰अधि॰ श्रीराम फाउन्डेशन चैरिटेबिल ट्रस्ट कोठी मोन प्लेजर ई॰के॰रोड मेरठ द्वारा सचिव प्रवीण कुमार मित्तल बनाम सरकार ग्राम नंगली ईसा परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना जिला मेरठ । दिनांक 30.11.2015 के अनुसार ग्राम नंगली ईसा परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना जिला मेरठ की खतौनी वर्ष 1412 ता 1417फ॰ के खाता सं॰159 के ख॰न॰483 रकबा 0.0630है॰ ख॰न॰487 रकबा 0.1260है॰ ख॰न॰486 रकबा 0.3490है॰ कुल नं॰3 कुल रकबा 0.5380है॰ लगान 15.40पैसे भूमि को तहसीलदार मवाना की आख्या के आधार पर शासनादेश के क्रम मे स्टाम्प अपर्वचना रोकने के उददेश्य से धारा 143ज॰वि॰अधि॰ के अन्तर्गत अकृषक घोषित किया जाता है । ह॰(ऋतु पूनिया)उपजिलाधिकारी मवाना । आर-सी नं॰71/29.12.2015आर-6/15.12.2016	
योग	3	0.5380		

जन सेवा केन्द्र ... ख॰ मवाना (मेरठ)

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

Digital India | NIC NATIONAL INFORMATICS CENTRE